

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 73/2010
संस्थित दिनांक- 12.03.2010

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रु द्ध

ताराचंद पिता शंकरलाल भीलाला,
आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-ड्रायव्हर,
निवासी-पशु चिकित्सालय के पीछे,
राजपुर, जिला बड़वानी

.....आरोपी

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 06/11/2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 11/10 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 06.01.10 को दिन में 3:30 बजे दोपहर लोकमार्ग ग्राम धनोरा रोड़, ग्राम धनोरा में वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.46/जी/0499 को लोकमार्ग पर स्वैच्छया या उतावलेपन से चलाकर रितेश और अजय का जीवन संकटापन्न करने तथा उक्त वाहन को पलटी खिलाकर रितेश को उपहति और अजय को घोर उपहति कारित करने के लिये भा.द. सं. की धारा-279, 337, 338 का अभियोग है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.10 को रितेश मनोज शर्मा के वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.46/जी/0499 को लेकर मिर्ची भरने के लिये अभियुक्त ताराचंद के साथ ग्राम बोरलाय में दो मजदूर लेकर गया था, जिनमें से एक मजदूर का नाम अजय और दूसरे का नाम जगदीश था, वे लोग ग्राम बोरलाय से मिर्ची भरकर ग्राम धनोरा गये, वापस आने पर अभियुक्त ताराचंद ने आयशर वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे रितेश और अजय आयशर में दब गये, रितेश को दाहिने पैर में और अजय को दाहिने पैर में चोटे आई, उन्हें मधुसुदन पिता सोमा निवासी राजपुर ने ईलाज के लिये बड़वानी भिजवाया, ईलाज कराकर अगले दिन रितेश ने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ में की, जहां अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध क्रमांक 11/10 दर्ज

किया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये। अभियुक्त से उक्त वाहन के दस्तावेज जप्त किये, घटनास्थल पर पलटा हुआ उक्त आयशर वाहन जप्त किया। एक्स-रे परीक्षण में अजय को घोर उपहति होने पर अभियुक्त के विरुद्ध 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. उक्त अनुसार अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा-279, 337, 338 के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.01.10 को दोपहर लगभग 3:30 बजे लोकमार्ग धनोरा रोड़ ग्राम धनोरा में वाहन आयशर कमांक एम.पी.46/जी/0499 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर रितेश और अजय का जीवन संकटापन्न किया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन आयशर कमांक एम.पी.46/जी/0499 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर रितेश को उपहति और अजय को घोर उपहति कारित की ?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

:- साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी रितेश (अ.सा.1), अजय (अ.सा.2), जगदीश (अ.सा.3), डॉ. कैलाशचंद्र मालवीय (अ.सा.4), मधुसुदन (अ.सा.5), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.6), डॉ. विजया सकपाल (अ.सा.7), गजेन्द्रसिंह (अ.सा.8) का परीक्षण कराया गया है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में रितेश (अ.सा.1) का कथन है कि 3 वर्ष पूर्व की घटना है, वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानता है, घटना वाले दिन वह और 4 अन्य व्यक्ति जिनमें अजय, जगदीश, कालिया शर्मा की आयशर में मिर्ची भरने के लिये बोरलाय गांव से अंदर की ओर गये थे, उक्त वाहन को न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त चला रहा था, वे लोग मिर्ची भरकर वापस राजपुर आ रहे थे, तब सामने एक गाय आ गयी थी, उनका आयशर वाहन पलटी खा गया था, गाड़ी लगभग 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, उसे पैर में चोट आई थी और अजय का पैर टूट गया था, उसने बड़वानी अस्पताल में ईलाज कराया था तथा थाना अंजड़ पर

घटना की रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने प्र.पी.2 का नक्शा-मौका उसकी निशांदाही से बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित करने पर, अभियोजन के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह आयशर वाहन पर क्लीनरी करता था तथा अभियुक्त आयशर वाहन को घटना वाले दिन तेज गति से चला रहा था और जिस आयशर वाहन में बैठकर गये थे, वह मनोज शर्मा का थी तथा उसका नंबर एम.पी.46/जी/0499 था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह घटना वाले दिन गाड़ी का क्लीनर नहीं था अथवा वह जिस सड़क से जा रहे थे, वह कच्ची थी। साक्षी ने जिस गांव में मिर्ची भरने गये थे, उस गांव का नाम याद होने से इन्कार किया है और जिस व्यक्ति के खेत में गये थे, उसका नाम भी याद नहीं होना बताया है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्त राजपुर गया था अथवा कोई अन्य काछी ड्रायव्हर वाहन लेकर मिर्ची भरने गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि खेत की ओर जाने वाले रास्तों पर गाड़ी तेजी से नहीं चलती है और वाहन के सेठ से झगड़ा हो जाने के कारण असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि गाड़ी तेज गति से नहीं चल रही थी या वह असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उन्हें ग्राम बोरलाय का व्यक्ति अस्पताल लेकर गया था, उसने रिपोर्ट में बोरलाय वाले व्यक्ति द्वारा अस्पताल ले जाने वाली बात लिखायी थी।

9. साक्षी अजय (अ.सा.2), जगदीश (अ.सा.3) ने भी रितेश (अ.सा.1) के साथ 3 वर्ष पहले आयशर वाहन में बैठकर बोरलाय से मिर्ची लेने जाने के संबंध में कथन किये गये हैं, साक्षियों के यह भी कथन है कि अभियुक्त ताराचंद वाहन तेज गति से चला रहा था, गाड़ी लहराकर पलटी खा गयी थी, जिससे उन्हें चोट आई, साक्षी अजय (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि दुर्घटना में उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी अजय (अ.सा.2) ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि जिस सड़क से वे गये थे, वह कच्ची सड़क थी अथवा घटना वाले दिन अभियुक्त वाहन का ड्रायव्हर नहीं था एवं अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वे लोग गाड़ी के उपर मिर्ची के बोरो पर बैठे थे और उस पर से नीचे गिर गये थे, साक्षी ने स्पष्ट किया कि गाड़ी पलटने से उन्हें चोटे आई थीं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि गाड़ी तेज गति से नहीं चल रही थी अथवा गाड़ी के उपर से गिर जाने के कारण उसे चोट आई थी।

10. साक्षी जगदीश (अ.सा.3) ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटना की तारीख और दिन उसे ध्यान नहीं है, लेकिन इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना वाले दिन अभियुक्त वाहन नहीं चला रहा था अथवा वाहन धीमी गति से चल रहा था।

11. इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त तीनों साक्षियों के कथनों का इस बिंदु पर कोई खंडन नहीं हुआ है कि घटना वाले दिन अभियुक्त ही उक्त वाहन चला रहा था और वाहन तेज गति से चलाने के कारण ही दुर्घटना घटित हुई थी।

12. साक्षी मधुसुदन (अ.सा.5) ने अभियोजन मामले का कोई समर्थन

नहीं किया गया है । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन के सभी सुझावों से इन्कार किया है, यहां तक कि प्र.पी.5 के कथन देने से भी इन्कार किया है, संभवतः उक्त साक्षी जानबूझकर या भूल जाने के कारण अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं कर रहा है ।

13. साक्षी गजेन्द्रसिंह (अ.सा.8) ने दिनांक 07.01.10 को थाना अंजड़ में फरियादी रितेश पिता सुमेरसिंह की रिपोर्ट के आधार पर आयशर क्रमांक एम.पी. 46/जी/0499 के चालक ताराचंद के विरुद्ध वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर पलटी खिलाकर उसे और अजय को चोट आने के संबंध में प्र.पी.1 की रिपोर्ट लिखाये जाने के संबंध में कथन किया है । साक्षी का कथन है कि प्र.पी.1 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि साक्षी ने फरियादी के बताये अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी है । साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि फरियादी ने वाहन चालक का नाम नहीं बताया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट एक दिन विलंब से लिखायी गयी है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि फरियादी ईलाज करवाने के बाद रिपोर्ट लिखाने आया था ।

14. साक्षी डॉ. विजया सकपाल (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 06.01.10 को वह जिला चिकित्सालय बड़वानी में मनो-चिकित्सक के पद पर पदस्थ थी, उक्त दिनांक को आहत रितेश पिता सुमेर आयु-25 वर्ष, निवासी ग्राम दामड़ को मधुसुदन ईलाज के लिये लाया था, जिसने आहत को खरोंच के निशान एड़ी के पास तथा दूसरी मूंदी चोट कंधे के नीचे हड्डी पर पायी थी, उसने उक्त चोट के लिये एक्स-रे की सलाह दी थी तथा आहत अजय पिता मंगलिया आयु-15 वर्ष, का मेडिकल-परीक्षण करने पर उसे एक फटा हुआ घांव मुंह के उपर होंठ के अंदर तथा दूसरी एक मूंदी हुई चोट तथा सूजन आंख और चेहरे पर कालापन होना पाया था, तीसरी चोट सीधी एड़ी पर पायी थी, चौथी चोट छाती पर खरोंच के निशान बाईं तरफ होना पाये थे । साक्षी ने उक्त दोनों आहतों को आई चोटों के संबंध में प्र.पी.9 एवं प्र.पी. 10 के प्रतिवेदन भी प्रमाणित किये हैं ।

15. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आई चोटे सख्त जगह पर गिरने-पड़ने से आ सकती है, लेकिन उक्त दोनों ही साक्षी रितेश एवं अजय ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उन्हें उक्त चोटे गिरने से आई हैं, अतः चिकित्सक की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है ।

16. साक्षी डॉ. कैलाशचंद्र मालवीय (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 06.01.10 को उसने जिला चिकित्सालय बड़वानी में अजय पिता मंगलिया आयु 15 वर्ष निवासी राजपुर के सीने एवं दाहिनी एड़ी का एक्स-रे का परीक्षण करने पर बाईं तरफ की 6 वी एवं 7 वी पसली एवं दाहिनी केलिकियम हड्डी में अस्थि-भंग होना पाया था और अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.2 का दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी ने आहत की एक्स-रे प्लेट प्र.पी.3 एवं प्र.पी.4 को प्रमाणित किया है ।

17. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत को आई दोनों चोट मोटरसायकल चलाते हुए गिरने से आना संभव है, लेकिन बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा प्रारंभ से नहीं है कि आहत अजय मोटरसायकल से जा रहा था और मोटरसायकल से गिरने से उसे उक्त चोटे कारित हुई हैं ।

18. साक्षी दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 07.01.10 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 11/10 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, उसने घटनास्थल धनोरा रोड़ जाकर फरियादी रितेश के बताये अनुसार नक्शा-मौका प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने घटनास्थल से ही आयशर क्रमांक एम.पी.46/जी/0499 को प्र.पी.6 के अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अभियुक्त के पेश करने पर उक्त आयशर वाहन के दस्तावेज एवं चालक अनुज्ञप्ति प्र.पी.7 के अनुसार जप्त की थी तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे ।

19. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि रितेश थाने में रिपोर्ट करने आया था, तब वह उसे अपने साथ लेकर घटनास्थल गया था और नक्शा-मौका बनाया था । साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल आम मार्ग है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर लिये थे अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

20. अभियुक्त की ओर से उसके अधिवक्ता ने दिनांक 22.09.15 को वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.46/जी/0499 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट स्वीकार की है, जिस पर उनकी सहमति से प्र.पी.11 अंकित किया गया है । उक्त मैकेनिकल जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि उक्त वाहन का स्टेयरिंग, ब्रेक, साईड ग्लास सही स्थिति में थे तथा किसी मैकेनिकल त्रुटि के कारण उक्त दुर्घटना घटित नहीं हुई ।

21. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के समय कोई अन्य व्यक्ति वाहन चला रहा था तथा आहत साक्षियों ने अभियुक्त का नाम दुर्भावनापूर्वक बताया है, उनका यह भी तर्क है कि साक्षियों ने स्वीकार किया है कि वाहन के सामने गाय, बैल आए थे, ऐसी स्थिति में भी उपेक्षा प्रमाणित नहीं होती है ।

22. अभियुक्त द्वारा घटना के समय उक्त आयशर वाहन तेज गति से चलाने के संबंध में अभियोजन साक्षीगण रितेश (अ.सा.1), अजय (अ.सा.2), जगदीश (अ.सा.3) के कथन परस्पर पुष्टिकारक हैं, यहां तक कि उक्त साक्षियों ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान, परीक्षण के समय उक्त आयशर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के रूप में भी की है । साक्षी रितेश (अ.सा.1) का यहां तक कथन है कि गाड़ी उस समय 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी । साक्षी अजय (अ.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में भी बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि गाड़ी तेज गति से नहीं चल रही थी अथवा उन्हें गिरने से चोट आई है । साक्षी जगदीश (अ.सा.3) ने भी बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वाहन धीमी गति से चल रहा था अथवा वे लोग चलती हुई गाड़ी में बैठे थे ।

23. इस दुर्घटना के बाद आहत साक्षीगण को ईलाज के लिये जिला चिकित्सालय बड़वानी ले जाया गया, जहां डॉ. विजया सकपाल (अ.सा.7) द्वारा आहतों का परीक्षण साक्षी मधुसुदन (अ.सा.5) द्वारा लाये जाने पर किया गया है तथा आहत रितेश को और अजय को प्र.पी.9 एवं प्र.पी.10 में दर्शित चोटें होना पायी है तथा डॉ. कैलाशचंद्र मालवीय (अ.सा.4) द्वारा आहत अजय की चोटों के संबंध में किये गये एक्स-रे परीक्षण में आहत को 3 अस्थि-भंग की चोटें होना पायी होकर प्रतिवेदन प्रमाणित किया है ।

24. आहत अजय (अ.सा.1) ने उक्त घटना के संबंध में थाना अंजड़ में जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी है, उक्त प्र.पी.1 की रिपोर्ट में भी आयशर वाहन और उसके चालक का नाम अभियुक्त के रूप में लिखा है, इस प्रकार अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से आयशर क्रमांक एम.पी. 46/जी/0499 चलाकर रितेश और अजय का जीवन संकटापन्न कर वाहन को पलटी खिलाकर रितेश को साधारण और अजय को घोर उपहति कारित किया जाना प्रमाणित होता है ।

25. अभियुक्त का उक्त कृत्य भा.द.सं. की धारा-279, 337, 338 का अपराध है, जो अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त ताराचंद पिता शंकरलाल भीलाला निवासी पशु चिकित्सालय के पीछे, राजपुर जिला बड़वानी को भा.द.सं. की धारा-279, 337, 338 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

26. चूंकि अभियुक्त को भा.द.सं की धारा-279, 337, 338 में दोषसिद्ध ठहराया गया है, समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

पुनश्च:

27. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त गरीब परिवार का है तथा विचारण का नियमित रूप से सामना किया है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

28. यह सही है कि अभियुक्त ने विचारण का नियमित रूप से सामना किया है तथा घटना के समय उसकी आयु 31 वर्ष रही है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त ताराचंद पिता शंकरलाल भीलाला निवासी पशु चिकित्सालय के पीछे, राजपुर जिला बड़वानी को भा.द.सं. की धारा-337 में दोषी ठहराते हुए 1 माह के सश्रम कारावास

से दण्डित करता है, भा.द.सं. की धारा-338 में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 6 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।

29. द.प्र.सं. की धारा-357(3) के प्रावधानों के अंतर्गत यह भी आदेश किया जाता है कि अभियुक्त प्रतिकर स्वरूप आहत रितेश पिता सुमेरसिंह को 1,000 (अक्षरी एक हजार रुपये) एवं आहत अजय पिता मंगलिया को 2,000/-रुपये (अक्षरी दो हजार रुपये) अपील अवधि पश्चात् अदा करे । उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को क्रमशः 15 दिन और 1 माह का कारावास पृथक से भुगताया जाए ।

30. चूंकि भा.द.सं. की धारा-279, भा.द.सं. की धारा-337, 338 में समाहित है, इसलिए भा.द.सं. की धारा-71 के प्रावधान के अनुसार उक्त धारा के लिये पृथक से दण्डित नहीं किया जा रहा है ।

31. अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जाए । अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को मुख्य दण्डादेश में समायोजित किया जाए । उक्त अनुसार अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

32. अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

33. जप्तशुदा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी.46/जी/0499 उसके पंजीकृत स्वामी को पूर्व से सुपुर्दगी पर, अपील अवधि पश्चात् उसका सुपुर्दगीनामा भारमुक्त किया जाता है, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

34. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त ताराचंद को निःशुल्क दी जाए । अभियुक्त को केन्द्रीय जेल, बड़वानी भेजा जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.